	(iii) with eight years service rendered after appointment to the post on a regular basis in level-2 in the pay-matrix (Rs. 19900-63200) or equivalent in the parent cadre or Department; and (b) possessing a bachelor's degree from a recognised university or institute. **Note 1:** The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2:** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation shall not ordinarily exceed three years. **Note 3:** The maximum age- limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.	Organisation- Chairperson; 2. Deputy Director (Administration), Central Drugs Standard Control Organisation – Member; 3. Assistant Drugs Controller (India), Central Drugs Standard Control Organisation - Member.	

[F. No. A-12018/01/2023-DRS]

VIVEK NARAYAN, Under Secy.

नई दिल्ली, 22 जुलाई, 2025

सा.का.नि. 113.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन [उप औषधि नियंत्रक (भारत)], भर्ती नियम 2020 को उन बातों के सिवाय आधिक्रान्त करते हुए, जिन्हे ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने से लोप किया गया है, केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप औषधि नियंत्रक (भारत) के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ. –** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन, उप औषधि नियंत्रक (भारत), (समूह 'क' पद) भर्ती नियम 2025 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.-** उक्त पदों की संख्या उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उनका स्तर वह होगा जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.-** उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता.-** वह व्यक्ति, –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति.-** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6 . **व्यावृत्ति.-** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में समय – समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम ।	पदों की संख्या ।	वर्गीकरण ।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर ।
(1)	(2)	(3)	(4)
1. उप औषधि नियंत्रक (भारत)।	39 * (2025) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "क", राजपत्रित, अननुसचिवीय ।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-12 (78800-209200 रू.) ।

चयन या अचयन पद।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा ।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं ।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं ।
(5)	(6)	(7)	(8)
चयन।	लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो ।	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता ।
(9)	(10)
लागू नहीं होता ।	प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाएगा ।
(11)
प्रोन्नति : वेतन मैट्रिक्स के स्तर 11 (67,700-2,08,700 रुपये) के ऐसे सहायक औषधि नियंत्रक (भारत) जिन्होंने उस ग्रेड में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो; और विभाग द्वारा विहित क्रमिक क्षेत्रों में दो सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो। **टिप्पण :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो जहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक सेवा, अपेक्षित अर्हक

सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित):

केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या पब्लिक सेक्टर के उपक्रम या कानूनी या स्वायत्त संगठनों के ऐसे अधिकारी;-

(क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हो; या

(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 11 (67700-208700) या समतुल्य पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात पांच वर्ष की सेवा प्रदान की हो; और

(ख) जिसके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हों, -

(i) विधि द्वारा भारत में स्थापित किसी विश्वविद्यालय से नैदानिक औषध विज्ञान या सूक्ष्मजीव विज्ञान में विशेषज्ञता के साथ भेषजी या भेषजीय रसायन विज्ञान या चिकित्सा में स्नातक डिग्री; औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) और उसके अधीन नियमों से संबंधित मामलों से निपटने में 12 साल का अनुभव या औषधियों के मानकीकरण या औषधियों के मानकों के नियंत्रण या औषधियों के निर्माण या परीक्षण से निपटने में 12 साल का अनुभव।

या

(ii) विधि द्वारा भारत में स्थापित किसी विश्वविद्यालय से भेषजी या भेषजीय रसायन विज्ञान या नैदानिक औषध विज्ञान या सूक्ष्मजीव विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री; औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) और उसके अधीन नियमों से संबंधित मामलों से निपटने में 10 साल का अनुभव या औषधियों के मानकीकरण या औषधियों के मानकों के नियंत्रण या औषधियों के निर्माण या परीक्षण से निपटने में 10 साल का अनुभव।

टिप्पण 1 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक अनुबंध सहित) जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किन्ही अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक अनुबंध सहित) भी है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी)।

टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना ।	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।**
12	**13**
विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे : 1. अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग -अध्यक्ष; 2. अपर सचिव या संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय -सदस्य ; 3. औषधि नियंत्रक (भारत) केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन -सदस्य; 4. निदेशक (प्रशासन एवं सतर्कता), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय -सदस्य।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. ए-12018/2/2017-डी.आर.एस]

विवेक नारायण, अवर सचिव

New Delhi, the 22nd July, 2025

G.S.R. **113.—**In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Central Drugs Standard Control Organisation [Deputy Drugs Controller (India)], Recruitment Rules, 2020 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Deputy Drugs Controller (India) in the Central Drugs Standard Control Organisation, Directorate General of Health Services, Ministry of Health and Family Welfare, namely:-

1. **Short title and commencement. –** (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Central Drugs Standard Control Organisation, Deputy Drugs Controller (India), (Group 'A' post), Recruitment Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in pay matrix. -** The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.-** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification. -** No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any other person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such persons and other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt such person from the operation of this rule.

5. **Power to relax. -** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Savings. -** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex- servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	**Number of post.**	**Classification.**	**Level in pay matrix.**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**
Deputy Drugs Controller (India).	39* (2025) Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group – 'A' Gazetted; Non-Ministerial.	Level 12 in the pay matrix (Rs.78800-209200/-).

Whether selection post or non-selection post.	**Age-limit for direct recruits.**
(5)	**(6)**
Selection	Not Applicable.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	**Whether age and educational qualifications prescribed for Direct Recruitment will apply in the case of promotees.**
(7)	**(8)**
Not Applicable.	Not Applicable.

Period of probation, if	**Method of recruitment whether by direct recruitment or by**	**In case of recruitment by promotion or by deputation/ absorption, grades from which**

any.	**promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.**	**promotion or deputation /absorption to be made.**
(9)	**(10)**	**(11)**
Not Applicable.	Promotion failing which by deputation (including short-term contract)	Promotion: Assistant Drugs Controller (India) in level 11 (Rs.67700-208700/-) in the pay matrix with five years' regular service in the grade; and having successfully completed minimum two weeks training in the respective field as prescribed by the Department. **Note:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation (Including short-term contract): Officers under the Central Government or State Governments or Union territory Administrations or recognised Universities or recognised research institutions or public sector undertaking or statutory or autonomous organisations: (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with five years' regular service in the grade rendered after appointment thereto in level-11 (Rs. 67700-208700/-) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or Department; and (b) possessing the following educational qualification and experience: (i) Graduate Degree in Pharmacy or Pharmaceutical Sciences or Medicine with specialisation in Clinical Pharmacology or Microbiology from a recognised University in India; with twelve years' experience in dealing with matters related to the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940) and rules made thereunder or twelve years' experience in dealing with drugs standardisation or control of drugs standards or in the manufacture or testing of drugs; Or (ii) Post Graduate Degree in Pharmacy or Pharmaceutical Sciences or Clinical Pharmacology or Microbiology from a recognized University in India; with ten years' experience in dealing with matters related to the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23

		of 1940) and rules thereunder or ten years' experience in dealing with drugs standardisation or control of drugs standards or in the manufacture or testing of drugs. **Note 1:** The Departmental officers in the feeder category who are in direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on Promotion. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2:** Period of deputation (Including short-term contract) including period of deputation (Including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years. **Note 3:** The maximum age-limit for appointment by deputation (Including short-term contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	**Circumstances in which Union Public Services Commission is to be consulted in making recruitment.**
(12)	**(13)**
Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: 1. Chairman or Member, Union Public Service Commission –Chairman; 2. Additional Secretary or Joint Secretary, Ministry of Health and Family Welfare -Member; 3.Drugs Controller (India), Central Drugs Standard Control Organisation –Member; 4. Director (Administration and Vigilance), Directorate General of Health Services –Member.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. A-12018/2/2017-DRS]

VIVEK NARAYAN, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
GORAKHA NATH YADAVA
Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA
Date: 2025.08.02 11:10:22 +05'30'